

डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. नवीन संबद्धता/संबद्धता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

नवीन संबद्धता/नवीनीकरण सत्र 2020-21

आवेदन का दिनांक..... | 20

यह आवेदन पत्र मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भापाल द्वारा समय-समय पर लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियमों एवं निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया जावे।

1. समिति का नाम पंजीयन क्रमांक एवं पूर्ण पता नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन, ठाकुर बाबा कैम्परा, झॉंसी रोड, सिथौली, ग्वालियर - (म.प्र.) 474001 (समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
2. समिति के अध्यक्ष का नाम एवं पता श्री प्रताप सिंह तामर दूरभाष क्रमांक 0751-6555515 मोबाइल नम्बर 9425116244 एस.टी.डी. कोड 0751
3. समिति द्वारा संचालित डी एड/पी.पी.टी.सी. संस्थान का एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश अनुसार पूर्ण पता (दूरभाष क्रं. एवं ई-मेल आई.डी. सहित) झॉंसी रोड, सिथौली, ग्वालियर -- (म.प्र.) 474001 E-Mail: nitmadm0917@gmail.com
4. संस्था प्राचार्य का नाम/पता एवं दूरभाष क्रमांक (मोबाइल नं. सहित) श्रीमति प्रमोद शर्मा ~~म.प्र. मोबाइल नं. 9522269969~~
5. संस्था का NCTE रेग्यूलेशन की धारा 7(11) के तहत एवं एन.सी.टी.ई एवं सेक्शन 14(3)(a) के द्वारा प्रदत्त मान्यता आदेश का विवरण।
आदेश पत्र क्रमांक 97698 दिनांक 03.12.2012
6. आवेदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थानों में संचालित अन्य पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी B.ed.
7. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मापदण्डों के आधार पर संस्थान में, नियुक्त प्राचार्य, व्याख्यता एवं अन्य शैक्षणिक एवं कार्यालयीन कर्मचारियों की संबंधित जिले के शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त सूची आवश्यक रूप से संलग्न की जावे।
8. संस्था संचालन हेतु उपलब्ध भूमि/भवन की जानकारी।
 - a) क्या संस्था स्वयं के भवन में संचालित है? अथवा भवन किराये पर लिया गया है। (स्वयं)
 - b) संस्था के भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 4595 वर्ग मीटर
 - c) निर्मित भवन का क्षेत्रफल 3000 वर्ग
 - d) शैक्षणिक कक्षों की संख्या एवं प्रत्येक का निर्मित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
4(10x750) वर्गमीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल.....
 - e) खाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 1598 वर्गमीटर
9. संस्था में उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी
 - i. शुद्ध पेय जल की व्यवस्था वाटरकुलर
 - ii. शौचालय की पृथक पृथक व्यवस्था पुरुष/महिला पृथक व्यवस्था
 - iii. पुस्तकालय की व्यवस्था एवं पुस्तक की संख्या 2056
 - iv. प्रयोग शालाओं की संख्या एवं उपलब्ध उपकरण 05

10 संस्था द्वारा मासिक में जमा कराए गए सम्बद्धता शुल्क/नवीनीकरण/नवीन सम्बद्धता शुल्क का विवरण-शैक्षणिक सत्र 2020-21

बालिका के

बैंक का नाम: इलाहाबाद बैंक, एस.डी.एम. रोड, ग्वालियर

दिनांक

जमा की गई राशि 30000/-

11. संस्था के संचालक मण्डल, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के नियमानुसार छायाचित्र (6"x4" अथवा 8"x12") संलग्न कीजिए।

i. संस्था के भवन के सामने से खींचा गया छायाचित्र जिसमें सम्पूर्ण भवन तथा प्रवेश द्वार स्पष्ट दिखाई दे। उक्त छायाचित्र की पृष्ठ भूमि में संचालक मण्डल के सदस्य एवं पदाधिकारियों के नाम एवं पद भी स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

ii. नवीनीकरण प्रकरणों में संस्था में प्रशिक्षणरत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के 25-25 छात्रों का समूह छायाचित्र ताकि प्रत्येक छात्र की पहचान हो सके।

iii. संस्था में कार्यरत शिक्षकों के छायाचित्र नाम एवं पदनाम सहित (भवन के समक्ष बैठे हुए)।

// घोषणा //

मैं प्रताप सिंह तोमर पुत्र श्री हाकिम सिंह तोमर समिति का नाम बाल केशानन्द जी शिक्षा प्रसार समिति के द्वारा संचालित डी.एड. संस्था नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन के अध्यक्ष/सचिव पद पर पदस्थ हूँ। मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल से वर्तमान में लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियम एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के उपरान्त उक्त आवेदन पत्र में जानकारी प्रस्तुत की गई है। मैं घोषणा करता हूँ कि:-

1. ऊपर दी गई जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतया सत्य हैं तथा इनमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है न ही किसी बात को बढ़ाकर बताया गया है।
2. संस्था की प्राधिकृत समिति द्वारा शासन से प्राप्त विभागीय अनुमति एन.सी.टी.ई. से प्राप्त मान्यता संबंधी आदेश एवं मण्डल द्वारा लागू संबद्धता संबंधी स्थाई नियमों एवं निर्देशों का अध्ययन कर लिया गया है तथा एतद द्वारा इन सभी शर्तों को मान्य करता हूँ।
3. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारियों के संस्था में निरीक्षण हेतु उपस्थित होने पर निरीक्षणकर्ता अधिकारी को एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी समस्त मापदण्डों, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधी नियमों एवं निर्देशों के सदर्भ में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुये निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा चाहे गये समस्त दस्तावेज एवं अभिलेख संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
4. मैं यह घोषणा करता हूँ कि संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं म.प्र. शासन, स्कूल विभाग से समय-समय पर जारी किये गये नियमों एवं निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जावेगा। अन्यथा स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता समाप्त करने का अधिकार होगा जिसमें मुझे या मेरी समिति को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान

दिनांक

समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

समिति सचिव के हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

सचिव

संस्था का नाम